न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

– 181 / 2015

उनवान

कयूम मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद सिलावट निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
न्याज मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद सिलावट निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
नसून मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद सिलावट निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
हकीम मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद सिलावट निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
वहीदन पिता शफी मोहम्मद सिलावट निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
शहनाज पिता शफी मोहम्मद सिलावट निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
जुबेदा पिता शफी मोहम्मद सिलावट निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

——————(प्रार्थी)

बनाम

मूलचन्द पिता बालु माली निवासी माण्डल गेट बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
नैरू पिता घीसु माली निवासी माण्डल गेट बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
कालु पिता घीसु माली निवासी माण्डल गेट बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
गोपाल पिता लादु माली निवासी माण्डल गेट बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
नाथु पिता नामालूम माली निवासी माण्डल गेट बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

——————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : :

दिनांक – 20.06.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत [illegible] ने दिनांक 08.03.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2069 से 2072 की जमाबंदी अनुसार ग्राम बनेडा पटवार क्षैत्र बनेडा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि **खाता संख्या 1590 आराजी 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059 कुल किता 7 कुल रकबा 05–14 बीघा** स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी [illegible] चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 20.06.2016 को दर्ज किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना [illegible]। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य र्निविवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि [illegible] के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी [illegible] का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

ग्राम बनेडा पटवार क्षैत्र बनेडा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि **खाता संख्या [illegible] के आराजी 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059 कुल किता 7 कुल रकबा 05–14 बीघा** की [illegible] बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर [illegible]/– रूपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की

निर्णय आज दिनांक 20.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बनेडा मे सरे इजलास सुनाया गया।

(संजय माथुर)